SHREESHRUTI EDUCATION FOUNDATION

Registered Office : C-5, Krishan Balram, Malviya Nagar, Jaipur-302017
CIN :- U80100RJ2004NPL019004
Contact : - 0141 -4100999
Email : companysecretary@raslilaindia.com

दिंनाकः 02.05.2022

सेवा में,

श्रीमान आयुक्त महोदय,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

विषयः संस्था को रियायती दर पर भुमि आंवटन बाबत आवेदन के क्रम में।

मान्यवर्

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संस्था द्वारा "**रूँगटा अकेडमी ऑफ हायर ऐजुकेशन**" की स्थापना के लिए भुमि आवंटन हेतु आवेदन **प्रपत्र–अ एवं परिशिष्ट–1** के अनुसार निर्धारित दस्तावेजों मय आवेदन शुल्क **डी0डी0 संख्या 734726 रूपये 5900/– दिनांक 27/04/2022. कोटक महिन्द्रा बैंक** आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

धन्यवाद्

For Shreeshruti Education Foundation

Director

रास बिहारी रूँगटा
(निदेशक)

सलग्नः उपरोक्तानुसार।

(2)

प्रपत्र–अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र

क्र.सं.	विवरण	आवेदक संस्था द्वारा भरा जाना
1	संस्था/संगठन का नाम	Shree Shruti Education Foundation
2	प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षारकर्ता)	Rash Behari Rungta
3	डाक पता,टेलीफोन नं,मोबाईल नं,एवं मेल आई.डी.	C-5, Krishan Balram, Calgiri Road, Malviya Nagar, Jaipur Mobile No. : 09509738324 Email Id : rash@rungtahospital.com
4	भूमि आवंटन का उद्देश्य	Establishment of Higher Education Academy
5	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	Plot no. 5, Institutional Block, Sector-13, Indira Gandhi Nagar, Jaipur
6	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	6287.37 Sq.Mt.
7	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान अनुमानित निवेशक निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने लाभो बाबत् संक्षिप्त विवरण)	Annexure -5
8	संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण	NA
9	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	
	i रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	Annexure -1
	Ii बाईलॉज/रेग्युलेशन	Annexure -2
	iii गत तीन वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेन्स शीट	Annexure -3
	iv संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षारकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा उसका उल्लेख हो।	Annexure -4
	v प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत् मुख्य विवरण)	Annexure -5
	vi रू.5900/––(पांच हजार सौ रूपये) का बैंक का डी.डी./पे–ऑर्डर जो राजस्थान आवासन मण्डल के नाम हो।	DD No. 734726 Rs. 5900/- dated 27/04/2022 Annexure -6

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचानाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नही छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तो/निर्देशों व उप–विधियां आदि की समस्त शर्तो की पूणतः पालना करेगा। शर्तो की अवेहलना करने पर आवंटन करने वाली शहरी निकाय (Urben Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 02/05/2022
स्थान : जयपुर

For Shreeshruti Education Foundation

अधिकृत हस्ताक्षारकर्ता Director

नाम : रास बिहारी रूँगटा
पद : निदेशक

(5)

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Office of the Registrar of Companies

G/6-7, Second Floor Residency Area, Jaipur, Rajasthan, India, 302001

Certificate of Incorporation pursuant to change of name

[Pursuant to rule 29 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Corporate Identification Number (CIN): U80100RJ2004NPL019004

I hereby certify that the name of the company has been changed from COCETRA OVERSEAS to SHREESHRUTI EDUCATION FOUNDATION with effect from the date of this certificate and that the company is limited by shares.

Company was originally incorporated with the name RASHLEELA PAPERS PRIVATE LIMITED.

Given under my hand at Jaipur this Second day of November two thousand twenty.

DS MINISTRY
OF CORPORATE
AFFAIRS

Uttam Sitaram Patole

Registrar of Companies

RoC - Jaipur

Mailing Address as per record available in Registrar of Companies office:

SHREESHRUTI EDUCATION FOUNDATION

C-5, KRISHNA BALRAM, MALVIYA NAGAR, JAIPUR, Rajasthan, India, 302017

For Shreeshruti Education Foundation

Director

(6)

Licence under section 8 (5) of the Companies Act, 2013
[Pursuant to rule 20 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Section 8 Licence Number 119638

WHEREAS it has been proved to my satisfaction that the objects of COCETRA OVERSEAS PRIVATE LIMITED Limited/ Private Limited, being a company registered under the Companies Act, 2013, as a limited company are restricted to those specified in, clause (a) of sub-section (1) of section 8 of the said Act and that it intends to apply its profits, if any, or other income in promoting its objects and to prohibit the payment of any dividend to its members;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the said Act, I, the Regional Director at Jaipur, hereby grant this licence authorising the company by a special resolution to change its name by omitting the word "Limited", or as the case may be, the words "Private Limited" from such name subject to the following conditions, namely:

(1) that the said company shall in all respects be subject to and governed by the conditions and provisions contained in its memorandum of association;
(2) that the profits, if any or other income and property of the said company, whensoever derived, shall be applied solely for the promotion of the objects as set forth in its memorandum of association and that no portion thereof shall be paid or transferred, directly or indirectly, by way of dividend, bonus or otherwise by way of profit to persons who at any time are or have been members of the said company or to any of them or to any person claiming through any one or more of them;
(3) that no remuneration or other benefit in money or money's worth shall be given by the company to any of its members except payment of out-of-pocket expenses, reasonable and proper interest on money lent, or reasonable and proper rent on premises let to the company;
(4) that nothing in this clause shall prevent the payment by the company in good faith of prudent remuneration to any of its officers or servants (not being members) or to any other person (not being member), in return for any services actually rendered to the company;
(5) that nothing in clauses (3) and (4) shall prevent the payment by the company in good faith, of prudent remuneration to any of its members in return for any services (not being services of a kind which are required to be rendered by a member), actually rendered to the company;
(6) that no alteration shall be made to the memorandum of association or in the articles of association of the company, which are for the time being in force, unless the alteration has been previously submitted to and approved by the Registrar ;
(7) The Company can be amalgamated only with another company registered under section 8 of the Act & having similar objects; and
(8) that, without prejudice to action under any other law for the time being in force, this licence shall be liable to be revoked, if the company:

(a) contravenes any of the requirements of section 8 of the Act or the rules made thereunder or any of the conditions subject to which a licence is issued;
(b) if the affairs of the company are conducted fraudulently or in a manner violative of the objects of the company or prejudicial to public interest.

DS MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS 3

Uttam Sitaram Patole

For Shreeshruti Education Foundation

Director

Registrar of Companies
RoC - Jaipur
Dated this 31 Day of 07 2020

101

प्रपत्र–अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र

क्र.सं.	विवरण	आवेदक संस्था द्वारा भरा जाना
1	संस्था/संगठन का नाम	Shree Shruti Education Foundation
2	प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षारकर्ता)	Rash Behari Rungta
3	डाक पता,टेलीफोन नं,मोबाईल नं,एवं मेल आई. डी.	C-5, Krishan Balram, Calgiri Road, Malviya Nagar, Jaipur Mobile No. : 9509738324 Email Id : rash@rungtahospital.com
4	भूमि आवंटन का उद्देश्य	Establishment of College (Nursing College, Paramedical College, Degree College, Pharmacy College, Teachers Training College)
5	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	Plot no. 5, Institutional Block, Sector-13, Indira Gandhi Nagar, Jaipur
6	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	6287.37 Sq.Mt.
7	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान अनुमानित निवेशक निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने लाभो बाबत् संक्षिप्त विवरण)	Annexure -5
8	संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण	NA
9	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	
	i रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	Annexure -1
	Ii बाईलॉज/रेग्युलेशन	Annexure -2
	iii गत तीन वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेन्स शीट	Annexure -3
	iv संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षारकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा उसका उल्लेख हो।	Annexure -4
	v प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत् मुख्य विवरण)	Annexure -5
	vi रू.5900/––(पांच हजार सौ रूपये) का बैंक का डी.डी./पे–ऑर्डर जो राजस्थान आवासन मण्डल के नाम हो।	DD No. 734726 Rs. 5900/- dated 27/04/2022 Annexure -6

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचानाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नही छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तो/निर्देशों व उप–विधियां आदि की समस्त शर्तो की पूणतः पालना करेगा। शर्तो की अवेहलना करने पर आवंटन करने वाली शहरी निकाय (Urben Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 23/05/2022
स्थान : जयपुर

नाम : रास बिहारी रूँगटा
पद : निदेशक

अधिकृत हस्ताक्षारकर्ता

For Shreeshruti Education Foundation

Director

परिशिष्ट–1

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थानो को रियासती दर पर भूमि आवंटन बाबत् निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट

पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं

आवेदक का नाम/पता	Shree Shruti Education Foundation C-5, Krishan Balram, Calgiri Road, Malviya Nagar, Jaipur
शहर/कस्बे/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	Indira Gandhi Nagar, Jaipur
भूमि चाही गई का विवरण (राजस्व ग्राम/ कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर,क्षेत्रफल आदि)	Plot no. 5, Institutional Block, Sector-13, Indira Gandhi Nagar, Jaipur
आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	20/02/2004 Annexure -1
संस्था का गत तीन वर्ष का आय–व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	Annexure -3
संबंधित आवेदक संस्था द्वारा गये/किये जा रहे कार्यो का विवरण	Shree Shruti Education Foundation run two institution named (i) Rungta Nursing College, (ii) Rungta Paramedical College
चाही गई भूमि के उपयोग बाबत परियोजन रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनो का विवरण	As per Annexure – 5

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा	As per Annexure – 5
आवंटन किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत् नोर्मस	As per State Government Norms
क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवटन की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	No
संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	NA
आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	NA
चही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद/स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	NA
आवेदक संस्था के पदाधिकारियो/सदस्यो/प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साख संबंधी विवरण	Annexure - 7
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	NA
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य	NA

For Shreeshruti Education Foundation

Director

सरकार/अन्य वितीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	
आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	Establishment of College (Nursing College, Paramedical College, Degree College, Pharmacy College, Teachers Training College)
आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियासत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यो के सम्बन्ध में विवरण	As per Government norms
यदि आवेदक संस्था प्रिमियर संस्था कि श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा कि जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	Yes , 52.27 Cr
क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	No
अन्य विवरण	

हस्ताक्षर

For Shreeshruti Education Foundation

Director